

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—339 / 2007

संस्थित दिनांक—07.06.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

दिलीप पिता रूपचंद ठाकरे, उम्र 42 वर्ष, जाति पवार

निवासी—ग्राम सलघट, थाना बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—07 / 08 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—22.04.2007 को समय सुबह 4:30 बजे ग्राम कैण्डाटोला आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.0309 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक नेता बैगा को गिराकर की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—22.04.2007 को समय सुबह 4:30 बजे ग्राम कैण्डाटोला आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.0309 में आरोपी भूसा भरकर ले जा रहा था, जिसमें मृतक नेता बैगा व अन्य लोग बैठे हुए थे। उक्त ट्रेक्टर के चालक द्वारा वाहन को तेज गति से चलाया, जिससे उक्त ट्रेक्टर में बैठा नेता बैगा ट्रेक्टर से रोड पर गिर गया, जिससे नेता बैगा की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी नेकलाल टेम्भरे थाना बिरसा में की गई। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मृतक बैगा की मृत्यु के संबंध में मार्ग इंटीमेशन क्रमांक—10 / 07 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—33 / 2007, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को

गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-22.04.2007 को समय सुबह 4:30 बजे ग्राम कैण्डाटोला आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.0309 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक नेता बैगा को गिराकर की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— प्रार्थी नेकलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी तथा मृतक नेता बैगा को जानता है, घटना लगभग 2-3 साल पूर्व ग्राम कैण्डाटोला मेन रोड की है। उक्त ट्रेक्टर में देवरी के दो लडके बैठे थे और उसमें वह तथा नेता बैगा भी बैठे थे। सभी लोग सामने बैठे थे। दुर्घटना कैसे घटित हुई उसकी जानकारी नहीं है। घटना के समय ट्रेक्टर धीरे चल रहा था। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसने दर्ज कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। ट्रेक्टर में सामने बैठे दो लोगों ने देखा था कि नेता बैगा नीचे गिर गया, नेता बैगा की मृत्यु मौके पर ही हो गई। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश न कर अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया गया है।

6— समारीनबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। मृतक उसका पति है। घटना दिनांक-22.04.2007 को ग्राम कैण्डाटोला की है। उसका पति नेता बैगा ट्रेक्टर में बैठकर रेलवाही से देवरी आ रहा था, तब ट्रेक्टर से कैण्डाटोला में एकसीडेंट हो गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। वह घटना के समय घर पर थी, उसे घनश्याम बुलाने आया था तब वह घटना स्थल पर गई तो देखी कि उसका पति फौत हो गया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

7— जयलाल मरकाम (अ.सा.3) व जैतलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था और मृतक नेता बैगा स्वयं की गलती से ट्रेक्टर के नीचे आ गया था और जिस कारण

उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिस को बयान देते समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक एवं तेज रफ्तार से चलाये जाने के बारे में नहीं बताया था। इस प्रकार साक्षीगण चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— दुलीचंद (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण उसके सामने ट्रेक्टर को जप्त किये जाने और आरोपी को गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही से इंकार किया है।

9— बिसराम (अ.सा.10) ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि नक्शा पंचायतनामा एवं मृत्यु जांच की सूचना पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु घटना के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं की है।

10— दादूराम (अ.सा.11) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि शव परीक्षण के उपरांत शव को सुपुर्दनामे पर दिये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

11— महेन्द्र कुमार (अ.सा.12) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि जप्तशुदा ट्रेक्टर का परीक्षण कर चालू हालत में होने की पुष्टि की है।

12— डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा.7) ने अपने साक्ष्य में दिनांक 22.07.2007 को आरक्षक के द्वारा नेता बैगा के शव को परीक्षण करने और अपने अभिमत में मृतक की मृत्यु का कारण सदमा एवं फेफड़े, तिल्ली, व गुर्दे में आई चोट के कारण व अत्याधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु होने की पुष्टि की है।

13— मामले में मार्ग कार्यवाही के संबंध में शिवशंकर (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में पुष्टि करते हुए कथन किया है कि उसने मृतक नेता बैगा के ट्रेक्टर से गिरने से फौत होने के संबंध में मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-8 की कार्यवाही की थी। साक्षी ने मार्ग की कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

14— अनुसंधानकर्ता धनराजनंदा (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में मामले की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष में महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया है।

15— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को चलाये जाने और ट्रेक्टर से मृतक नेता बैगा के फिसलकर गिर जाने से उसकी मृत्यु होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती से मृत्यु न होना भी स्वीकार किया है। किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं, बल्कि उक्त तथ्य से सभी चक्षुदर्शी एवं महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह प्रमाणित होता है

कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर को आरोपी के द्वारा चलाया जा रहा था और मृतक नेता बैगा उक्त वाहन से फिसलकर गिर गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में उक्त परिस्थिति में आरोपी को ही उक्त घटना के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि स्वयं मृतक नेता बैगा ने दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर में बैठकर सम्यक् तत्परता व उचित सावधानी नहीं बरती, जिस कारण वह फिसलकर नीचे गिर गया। सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने एकमत में अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा उक्त दुर्घटना के समय वाहन को धीमी गति से चलाये जाने एवं आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन नहीं चलाये जाने की साक्ष्य पेश की है। अभियोजन की ओर से प्रत्यक्ष रूप से ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की है कि आरोपी की गलती के कारण अथवा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जाने के कारण मृतक नेता बैगा की मृत्यु कारित हुई।

16— विधिशास्त्र के अनुसार सिविल एवं दांडिक विधि के अंतर्गत उपेक्षा को अलग-अलग नजरिये से देखा जाता है। साधारण उपेक्षा या लापरवाही की तुलना में दांडिक मामले के अंतर्गत उपेक्षा को उच्च श्रेणी के मापदंड से देखा जाना होता है। हो सकता है कि किसी उपेक्षा के कृत्य हेतु व्यक्ति सिविल विधि के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाये किन्तु उसी आधार पर उसे दांडिक मामले में अभियोजित नहीं किया जा सकता। दांडिक मामले में आरोपी के घोर उपेक्षा को साबित किया जाना आवश्यक है। मृतक की मृत्यु आरोपी के कृत्य अथवा लोप का सीधा परिणाम होना चाहिए, साथ ही आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध सिद्ध होने के लिए अपेक्षित उपेक्षा इतना उच्च होना चाहिए कि वह "घोर उपेक्षा" या "असावधानी" के रूप में वर्णित की जा सकती हो। उक्त के प्रकाश में कथित उपेक्षा से आरोपी को दांडिक मामले में मृतक नेता बैगा की मृत्यु हेतु उत्तरदायित्व ठहराया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होगा। इस प्रकार उक्त विश्लेषण के उपरांत यह प्रकट होता है कि अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थितियाँ प्रकट होती हैं, जिन्हें अभियोजन ने दूर नहीं किया है।

17— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक नेता बैगा को वाहन से गिराकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए.0309 व ट्राली क्रमांक—एम.पी.50/ए.0310 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार दिलीप पिता रूपचंद ठाकरे

निवासी सलघट बैहर को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)